



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042021-226375
CG-DL-E-05042021-226375

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 5, 2021/चैत्र 15, 1943

No. 198]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 5, 2021/CHAITRA 15, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2021

सं. 41/2021-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 249(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के साथ पठित धारा 99 ख के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:- (1) इन विनियमों को कस्टम्स (वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्प्लायंस) संशोधन विनियमावली, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा.- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) "आयुक्त, सीमाशुल्क" से अभिप्राय.-

(i) आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के मामले में, उस आयुक्त, सीमाशुल्क से है जिसके अधिकार क्षेत्र में वह कस्टम्स स्टेशन आता हो, जहां ऐसा व्यक्ति अपना आयात या निर्यात का कारोबार करता हो;

(ii) कस्टम्स ब्रोकर के मामले में, उस आयुक्त, सीमाशुल्क से है जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2018 के अनुसार आता हो।;

(ग) “कारोबार का मुख्य स्थान” से अभिप्राय उस प्राथमिक पते से है जो कि विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा जारी किए गए आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड में भी निर्दिष्ट हो।

(घ) “यथोचित अधिकारी” से अभिप्राय उस उपायुक्त या सहायक आयुक्त से है जो कि आयुक्त, सीमाशुल्क के अधीनस्थ हो

(2) आयुक्त, सीमाशुल्क के किसी भी संदर्भ में प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क का भी संदर्भ निहित होगा।

(3) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनका यहाँ प्रयोग तो हुआ हो, लेकिन उनको परिभाषित न किया गया हो, लेकिन उनको उक्त अभिनियम में परिभाषित किया गया हो, तो उनका वही अभिप्राय होगा जो उक्त अधिनियम में उनके लिए क्रमशः दिया गया हो।

3. प्रयोज्यता.- (1) ये विनियम निम्नलिखित श्रेणी के उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो इन विनियमों के प्रारम्भ होने के बाद से अपने आयात या निर्यात के कारोबार में लगे हों:-

(i) आयातकर्ता;

(ii) निर्यातकर्ता;

(iii) कस्टम्स ब्रोकर;

बशर्ते कि आयुक्त, सीमाशुल्क ऐसे किसी व्यक्ति का भी चयन कर सकता है जो कि इन विनियमों के प्रारम्भ होने के पहले भी आयात या निर्यात के कारोबार में लगा हो या उक्त अधिनियम की धारा 99ख की उप-धारा (3) के उप-वाक्य (i) के उप-वाक्य (क) से (च) में उल्लिखित लाभ को प्राप्त किया हो या उसके लिए दावा किया हो या ऐसे क्रियाकलापों में या ऐसे लाभ को प्राप्त करने में या दावा करने में कस्टम्स ब्रोकर के रूप में कार्यरत हो और तब ये विनियम ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे।

(2) ये विनियम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रीय के प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होंगे।

(3) ऐसे चयनित व्यक्ति को उसके चयन के बारे में कॉमन पोर्टल पर, जिस हद तक ये उपलब्ध हो, और अन्य मामलों में ऐसे माध्यम के द्वारा जिसे आयुक्त, सीमाशुल्क यथोचित समझे, तत्काल सूचित किया जाएगा।

4. पहचान का सत्यापन.- (1) विनियम 3 के अनुसार सत्यापन के लिए चयनित व्यक्ति को ऐसे चयन को सूचित किए जाने के पंद्रह दिन भीतर कॉमन पोर्टल पर निम्नलिखित कागजात या जानकारी प्रस्तुत करनी होगी:-

(i) भौतिक व्यक्ति से भिन्न अन्य प्रकार के व्यक्तियों के मामले में, निगमन संबंधी कागजात, यथा:-

(क) भागीदार फ़र्म के मामले में, पार्टनरशिप डीड या करार;

(ख) लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप के मामले में, रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र और एलएलपी एग्रीमेंट;

(ग) कंपनी के मामले में, रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र और समझौता-ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद;

(घ) ट्रस्ट/ फ़ाउंडेशन के मामले में, पंजीकरण प्रमाण पत्र और समझौता-ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद;

(ङ) अन्य किसी मामले में, ऐसा कोई दस्तावेज़ जिससे इसके गठन के बारे में प्रमाणित हो।

(ii) कागजात, जिससे प्राधिकृत हस्ताक्षरी की नियुक्ति प्रमाणित हो, जैसे कि:-

(iii) परमानेंट अकाउंट नंबर;

(iv) जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर;

(v) कागजात जिससे ऐसे व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का पता चले जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, इंकम टैक्स रिटर्न आदि:

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को जिसने की इन विनियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् आयात या निर्यात के कारोबार में लगा हो, उक्त कागजात को उसके आयात या निर्यात के कारोबार में संलग्न होने के अधिकतम तीस दिन के भीतर जमा करना होगा।

(2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट कागजात या जानकारी के प्रस्तुत किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति, कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, भागीदार, एसोसियेशन के प्रबंधन समिति का सदस्य, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, प्राधिकृत प्रतिनिधि, प्राधिकृत हस्ताक्षरी का, विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, कॉमन पोर्टल पर -

- (i) आधार का अभिप्रमानीकरण; और
- (ii) परमानेंट अकाउंट नंबर का सत्यापन

किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि जमा न किए जाने या अन्य किसी कारणों से आधार का अभिप्रमानीकरण नहीं हो पाता है तो जिस व्यक्ति का सत्यापन किया जाना है उस व्यक्ति को अपने वैध पासपोर्ट या इलेक्ट्रॉनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड की नोटरी प्रति को ऐसे चयन की तारीख से या अभिप्रमानीकरण ना हो पाने की तिथि, जैसी भी स्थिति हो, से पांच दिन की बढ़ाई गयी अवधि या ऐसी बढ़ाई गयी अवधि के भीतर जिसे आयुक्त, सीमाशुल्क के द्वारा स्वीकृति दी गयी हो, जमा करेगा।

(3) उक्त उपविनियम (1) और (2) के अंतर्गत कागजात या जानकारी, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत किए जाने पर, यथोचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी,-

- (i) ऐसे कागजात के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिकतम पैंतालीस दिन के भीतर कारोबार के मुख्य स्थान के पते का प्रत्यक्ष सत्यापन करेगा;
- (ii) ऐसे व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का आंकलन करेगा:

बशर्ते कि ऐसा यथोचित अधिकारी, अपने कारणों को लिखित रूप में व्यक्त करते हुए और ऐसे किसी अधिकारी के अनुमोदन से जो कि संयुक्त या अपर आयुक्त, सीमाशुल्क से कम का ना हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन करने के बजाय ऐसे कागजातों का ही सत्यापन कर सकता है जिसे वह उचित समझे:

बशर्ते और भी कि यदि आधार के अभिप्रमानीकरण से भिन्न किसी साधन के द्वारा उसकी पहचान का सत्यापन किया जाता है तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष सत्यापन का परित्याग नहीं किया जा सकेगा।

(4) ऐसी पहचान का सत्यापन उस समय सफल माना जाएगा यदि उक्त उपविनियम (1) और (2) में यथा-विनिर्दिष्ट कागजात के आधार पर ऐसी पहचान साबित हो जाती है।

(5) उक्त पहचान के सत्यापन को उस समय असफल माना जाएगा जब उक्त उपविनियम (1) और (2) में यथा-प्रदत्त कागजात के आधार पर या उपविनियम (3) के अंतर्गत कराये गए प्रत्यक्ष सत्यापन के आधार पर पहचान साबित नहीं हो पाती है।

(6) ऐसे पहचान के सत्यापन के परिणाम को कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में डाला जाएगा और इसकी सूचना सत्यापित व्यक्ति को दे दी जाएगी।

5. अनुपालन का सत्यापन.- (1) विनियम 4 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन हो जाने के बावजूद भी आयुक्त, सीमाशुल्क, राजस्व के हित को सुरक्षित रखने की दृष्टि से या तस्करी को रोकने के उद्देश्य से, इस अधिनियम या अन्य कोई कानून जो तत्समय लागू हो, के प्रावधानों का ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले अनुपालन का सत्यापन कराएगा और इस उद्देश्य के लिए संबन्धित व्यक्ति को कोई भी कागजात या सूचना को कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

6. पहचान और अनुपालन के सत्यापन की समयावधि.- (1) कागजात और जानकारी के प्रस्तुत किए जाने के तीस दिन के भीतर यथोचित अधिकारी, विनियम 4 और 5 के अनुसार सत्यापन कराएगा और ऐसी सत्यापन रिपोर्ट को कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम पर डलवा देगा:

बशर्ते कि यह सत्यापन रिपोर्ट कागजात और जानकारी के प्रस्तुत किए जाने के साठ दिन के भीतर भी तैयार की जा सकती है यदि प्रत्यक्ष सत्यापन का किया जाना जरूरी हो:

बशर्ते ओर भी कि, आयुक्त, सीमा शुल्क, ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये जिसमें कि उक्त यथोचित अधिकारी के लिए सत्यापन रिपोर्ट को तैयार करना संभव न हो, उपर्युक्त अवधि को अगले पंद्रह दिन के लिए और बढ़ा सकता है।

(2) आयुक्त, सीमा शुल्क यथोचित अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत की गयी सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर और ऐसे अन्य साक्ष्यों के आधार पर जिसे वह जरूरी समझे ऐसे सत्यापन के परिणाम को निर्धारित करेगा और कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम पर इसकी प्रविष्टि कराएगा।

(3) ऐसे सत्यापन के परिणाम की, इसके निर्धारण के सात दिन कि अवधि के भीतर तथा कामन पोर्टल पर, संबन्धित व्यक्ति को जानकारी दे दी जाएगी।

7. लाभ का आस्थगन.— आयुक्त, सीमा शुल्क, ऐसे कारणों के आधार पर जिनको की कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में दर्ज किया जाना होगा, उक्त अधिनियम की धारा 99ख की उपधारा (3) के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी या सभी लाभों को आस्थगित करने का आदेश दे सकता है और ऐसे निर्णय की सूचना संबन्धित व्यक्ति को दिला सकता है यदि वह-

(i) विनियम 4 में अपेक्षित अनुपालन नहीं कर पाता है; या

(ii) विनियम 4 के अंतर्गत गलत कागजात या सूचना देता है।

(2) जहा उपविनियम (1) के अंतर्गत ऐसे लाभों को आस्थगित कर दिया गया हो, वहा आयुक्त, सीमा शुल्क, ऐसे आस्थगन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, ऐसे व्यक्ति को जिसका लाभ आस्थगित कर दिया गया हो, सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे व्यक्ति को दी गयी सुनवाई की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, ऐसे आस्थगन को वापिस लेने या जारी रखने, जैसी भी स्थिति हो, का आदेश, जैसा वह उचित समझे, जारी करेगा।

8. लाभ की बहाली.— विनियम 7 के अंतर्गत आस्थगित लाभ को बहाल कर दिया जाएगा यदि संबन्धित व्यक्ति विनियम 4 की अपेक्षाओं को पूरा कर देता है या उसके अंतर्गत सही-सही कागजात या जानकारी प्रस्तुत कर देता है।

9. लाभ का मना किया जाना.— यदि धारा 99ख की उपधारा (1) के अंतर्गत यथा-अपेक्षित अभिप्रमाणन नहीं हो पाता है तो आयुक्त, सीमा शुल्क, उक्त अधिनियम की धारा 99ख की उपधारा 3 के उपवाक्य (ii) के अंतर्गत आदेश को जारी करके यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 99ख की उपधारा (3) के उपवाक्य (i) के उप-उपवाक्य (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी भी मद का लाभ नहीं मिलेगा :

बशर्ते कि ऐसा कोई भी आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा 122क के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुये ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

10. अपील.— (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो विनियम 7 या 9 के अंतर्गत आयुक्त, सीमा शुल्क, के द्वारा जारी किए गए आदेश से असंतुष्ट हो, उक्त अधिनियम के धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के यहा उक्त अधिनियम की धारा 129क के अंतर्गत अपील कर सकता है।

11. दंड.— (1) आयुक्त, सीमा शुल्क, ऐसे व्यक्ति पर जो कि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता हो या इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन न कर पाया हो, अधिकतम पचास हजार रुपये तक का दंड लगा सकता है।

[फा. सं. 450/104/2019-सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2021

No. 41/2021-Customs (N.T.)

G.S.R. 249(E).—In exercise of the powers conferred by section 99B read with section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title, commencement.— (1) These regulations may be called the Customs (Verification of Identity and Compliance) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date to be notified

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) "Commissioner of Customs" means.-

(i) In case of an importer or exporter, the Commissioner of Customs who has jurisdiction over the customs station where such person engages in import or export activity;

(ii) In case of a Customs Broker, the Commissioner of Customs who has jurisdiction over such person in accordance with the Customs Brokers Licencing Regulations, 2018;

(c) "principal place of business" means the primary address specified in the Importer Exporter Code issued by Directorate General of Foreign Trade.

(d) "proper officer" means the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner sub-ordinate to the Commissioner of Customs

Note: Any reference to the Commissioner of Customs shall also include a reference to the Principal Commissioner of Customs.

(2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Application.— (1) These regulations shall apply to the following class of persons who are newly engaging in import or export activity after the commencement of these regulations:-

(i) Importer;

(ii) Exporter;

(iii) Customs Broker:

Provided that the Commissioner of Customs may select any person, who may have engaged in import or export activity or availed or claimed the benefits mentioned in sub-clause (a) to (f) of clause (i) of sub-section (3) of section 99B of the Act or engaged as a Customs Broker in such activity or in availing or claiming such benefits prior to the commencement of these regulations and these regulations shall apply to such person.

(2) These regulations shall not apply to the Central Government, State Governments and Public Sector Undertakings.

(3) The person selected shall be informed about such selection immediately through the Common Portal, to the extent available, and in other cases, through such means as deemed appropriate by the Commissioner of Customs.

4. Verification of identity.- (1) The person selected for verification as per regulation 3 shall furnish the following documents or information on the Common Portal within fifteen days of such intimation of selection:-

- (i) document of incorporation, in case of persons other than individuals shall be the following, namely:-
- (a) in case of partnership firm, partnership deed or agreement;
 - (b) in case of Limited Liability Partnership, Certification of Registration issued by Registrar and LLP Agreement;
 - (c) in case of company, Certificate of Registration issued by Registrar and Memorandum of Understanding and Articles of Association;
 - (d) in case of trusts/foundations, Certificate of Registration and Memorandum of Understanding and Articles of Association;
 - (e) in any other case, any document evidencing constitution.
- (ii) document evidencing appointment of authorised signatories, if applicable.
- (iii) Permanent Account Number;
- (iv) GST Identification Number;
- (v) document such as bank statement, Income Tax Return etc. evidencing financial standing of the person:

Provided that a person who is newly engaging in import or export activity after the commencement of these regulations shall furnish the said documents not later than thirty days of engaging in import or export activity.

(2) On furnishing of documents or information stipulated in sub-regulation (1), every individual, karta, managing director, whole time director, partners, member of managing committee of association, board of trustees, authorised representative, authorized signatory, shall, within the prescribed time limit, undergo on the Common Portal-

- (i) authentication of Aadhaar; and
- (ii) verification of Permanent Account Number:

Provided that where the authentication of Aadhaar cannot be completed due to its non-assignment or due to technical reasons, the person to be verified shall furnish a notarised copy of valid passport or electoral photo identity card for verification on Common Portal, within an extended further period of five days from the date of such selection or failure of authentication, as the case may be, or within such extended period, as may be allowed by the Commissioner of Customs.

(3) On submission of documents or information under sub-regulations (1) and (2), as the case may be, the proper officer or an officer authorised by him shall,-

- (i) undertake a physical verification of the address provided in the principal place of business not later than forty five days from the date of submission of the documents;
- (ii) evaluate the financial standing of the person:

Provided that the proper officer may, for reasons to be recorded in writing and with the approval of an officer not below the rank of Joint or Additional Commissioner of Customs, in lieu of the physical verification of the place of business, carry out the verification of such documents as he may deem fit:

Provided further that, where the verification of identity is completed by means other than authentication of Aadhaar, the physical verification shall not be waived.

(4) The verification of identity shall be considered to have succeeded, if the identity is established on the basis of the documents specified under sub-regulations (1) and (2).

(5) The verification of identity shall be considered to have failed when the identity cannot be established on the basis of the documents provided for under sub-regulations (1) and (2) or on the basis of the physical verification conducted under sub-regulation (3).

(6) The outcome of the verification of identity shall be captured in the Customs Automated System and informed to the person verified.

5. Verification of compliance.— (1) Notwithstanding the verification of identity of persons in terms of regulation 4, the Commissioner of Customs, may, with a view to protecting the interest of revenue or preventing smuggling, cause verification of the compliance to the provisions of the Act or any other law for the time being in force, by such person and for this purpose require the person concerned to produce any document or information in the Customs Automated System.

6. Time period for verification of identity and compliance.— (1) The proper officer, shall undertake verification in accordance with regulations 4 and 5, and prepare a verification report on the Customs Automated Systems within thirty days of the submission of the documents and information:

Provided that the verification report may be prepared within sixty days of the submission of the documents and information, in case physical verification is required to be undertaken:

Provided further that, the Commissioner of Customs may, having regard to the circumstances under which the proper officer could not prepare the verification report, extend the periods specified above by a further period of fifteen days.

(2) The Commissioner of Customs shall on the basis of the report of verification submitted by the proper officer, and other evidence as deemed necessary, determine the outcome of the verification within fifteen days and cause its entry on the Customs Automated System.

(3) The outcome of the verification shall be informed to the person concerned on the Common Portal within a period of seven days from the date of determination.

7. Suspension of benefits.— The Commissioner of Customs may, based on reasons to be recorded on the Customs Automated System, order suspension of any or all of the benefits mentioned in clause (i) of sub-section (3) of section 99B of the Act and inform such decision to such person in case he-

- (i) failed to comply with the requirements of the regulation 4; or
- (ii) submitted incorrect documents or information under regulation 4.

(2) Where the benefits are suspended under sub-regulation (1), the Commissioner of Customs, shall within a period of fifteen days from the date of such suspension, give an opportunity of being heard to such person whose benefits are suspended and may pass such order as he deems fit, either revoking the suspension or continuing it, as the case may be, within a period of fifteen days from the date of hearing granted to such person.

8. Restoration of benefits.— The benefits suspended under regulation 7 shall be restored when the person concerned complies with the requirements of regulation 4 or furnishes correct document or information sought thereunder.

9. Denial of benefits. - In case of failure of authentication as required under the sub-section (1) of section 99B, the Commissioner of Customs may, by order, under clause (ii) of sub-section 3 of section 99B of the Act, direct that such person shall not have the benefit of any of the items specified in sub-clause (a) to (f) of clause (i) of sub-section (3) of section 99B of the Act.

Provided that no such order shall be issued without providing an opportunity of being heard to such person by following the procedure prescribed under section 122A of the Act.

10. Appeal.- (1) A person who is aggrieved by any order passed by the Commissioner of Customs under regulations 7 or 9, may prefer an appeal under section 129A of the Act to the Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal, established under sub-section (1) of section 12 of the said Act.

11. Penalty.- (1) The Commissioner of Customs may impose a penalty not exceeding fifty thousand rupees on a person who contravenes any provision of these regulations or who fails to comply with any provision of these regulations.

[F. No. 450/104/2019-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)